JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिला सशक्तिकरण और केंद्र सरकार की भूमिका

अजय सिंह कुशवाह,असिस्टेंट प्रोफेसर, मानवाधिकार विभाग,
बाबासाहेब भीमरावअंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश
ajay.hr@email.bbau.ac.in

संक्षेपिका- भारतीय संविधान की प्रसतावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा-निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान ने केवल महिलाओं की समाज को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है।

लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाएं तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की और उन्मुख रखा गया है। हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण को महिला की दशा का एक केंद्रीय मुद्दा माना गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 संसद में एक अधिनियम द्वारा की गई जिसके तहत महिला के अधिकारों तथा कानूनी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान का 73 वां तथा 74 वां संशोधन 1993 में पंचायत तथा नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, जिससे स्थानीय स्तरों पर उनकी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है।

ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं तथा मानवाधिकार दस्तावेजों को अपना समर्थन दिया है जो महिला के समान अधिकार 1993 में गई महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन की घोषणा की। यह नीति नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा महिला सशक्तीकरण से जुड़े अन्य क्षेत्र के लिए भी प्रतिबद्ध है।लैंगिक असमानता के छुपे कारणों का संबंध सामाजिक तथा आर्थिक रचना से है, जो औपचारिक तथा अनौपचारिक रीतियों और व्यवहारों पर आधारित है। सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण को और व्यापक और सशक्त बनाने के लिए कई विभिन्न कार्य योजनाएं लागू की गई है जो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोगी साबित हो रही है।

मुख्यशब्द - लोकतांत्रिक राजनीति, महिलाओं को आरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि ।

परिचय- प्राय हम भारतीयों ने कभी भी भारत-माता शब्द के वास्तविक महत्व को नहीं समझा, जिसका इस्तेमाल हम भारतीय अपने देश को संबोधित करने के लिए करते थे। हर भारतीय की माँ,भारत-माता,वह है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दुनिया की आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है।

वेदों और पुराणों के अनुसार भारतीय महिलाओं को समृद्धि, ज्ञान और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। भारत ही नहीं दुनिया भर में महिलाओं को लंबे समय से हीन माना जाता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले, महिलाओं को कई सामाजिक बुराइयों से शामिल थी , जिसमें बहु विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और सती प्रथा आदि। अन्य सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और लड़कियों को शिक्षा न देना शामिल था। जबकि कुछ गायब हो गए हैं, अन्य अभी भी हमारी संस्कृति में मौजूद हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू दुर्व्यवहार और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार[1]। कई पारंपरिक समाजों की तरह, भारतीय समाज की संरचना पितृसत्तात्मक थी। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को पुरुष छात्रों के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में समान अवसर नहीं दिए गए थे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं को निम्न दर्जा दिया। परिवार के पुरुष सदस्यों से आदेश देने और नियम लागू करने की अपेक्षा की जाती थी, जबकि महिलाओं से उसी का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। यह विचार सदैव रहा कि केवल पुरुष ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा का आधार है। फिर भी भारतीय संविधान को अपनाने से पहले ब्रिटिश सम्राटों ने भारतीय समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पर कई कानूनी सुधार लागू किए। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी के कई उदाहरण हैं। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद से, 1927 में स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन,अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, महिलाओं के सशक्तिकरण के काम में शामिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद से, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले कानून बने हैं।

यहाँ समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना जिसमें जैविक भेदभाव के अलावा कोई अन्य भेदभाव न हो। लैंगिक समानता के लिए आवश्यक है कि पुरुष और महिलाएँ समान रूप से सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं ,अवसरों, संसाधनों और पुरस्कारों का आनंद लें। लैंगिक असमानता होने पर महिलाओं को अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है और वित्तीय और सामाजिक संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है। एक मौलिक मानव अधिकार होने के अलावा, लैंगिक समानता एक स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक पूर्व शर्त भी है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" उदारवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और अनुच्छेद 14 हमारे सभी नागरिकों के लिए इसकी गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में उनके पास मौजूद समानता के स्तर के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देना अर्थात उन्हें अपने जीवन और करियर के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। महिला सशक्तिकरण के कारण आज महिलाएं कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। एक महिला अपने करियर के प्रति समर्पण और अपने घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन भी बनाती है। आश्चर्यजनक सहजता और अनुकूलता के साथ, वे घर पर एक माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में कई भूमिकाएँ निभाती हैं, और पेशेवर के रूप में काम करती हैं। 20वीं सदी में, दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति और पद में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। हम पाते हैं कि भारत की पिछली शताब्दियों में यह अविश्वसनीय रूप से कम था, और परिणामस्वरूप, उन्हें चीजों के रूप में देखा जाता था जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। भारत में महिलाएँ बहुत लंबे समय तक अपने घरों की चारदीवारी तक ही सीमित थीं। वे पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिला सशक्तिकरण के मुख्यतः पाँच घटक हैं-

(1)महिलाओं में आत्म-सम्मान की भावना उत्पन्न करना।

(2)महिलाओं को अपनी पसंद चुनने और उसे निर्धारित करने का अधिकार।

(3)भारत में महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक प्रावधान ।

(4)महिलाओं को समान अवसरों और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच का अधिकार।

(5) महिलाओं को घर के अंदर और बाहर अपने जीवन को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति है।

महिलाओं में अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान देने की क्षमता है।

महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं के मौलिक अधिकारों को पुनः व्यवस्थित करना, ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाए और लोगों की उन परिस्थितियों में रणनीतिक जीवन निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना जिनमें उन्हें पहले ऐसी क्षमता से वंचित रखा गया था। चूँकि महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित रखा गया था और उनके साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार नहीं किया गया था[1], इसलिए स्वतंत्रता के बाद उनके लाभ के लिए कानून बनाने पड़े ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को संबोधित करने वाले कई खंड हैं जिनमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 और कई अन्य शामिल हैं।

संसद ने महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए संविधान के अधिदेश को क्रियान्वित करने के लिए कई विशेष कानून पारित किए, जो इस प्रकार हैं:-

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

- सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, संरक्षण और अधिनियम 2013
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

अनैतिक व्यापार,रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अनैतिक तस्करी का आश्चर्यजनक रूप से उच्च प्रचलन मानव सुरक्षा पर एक गंभीर हमला है। मानव तस्करी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अपने जाल में फंसा रही है।

बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अक्सर उन्हें जबरन श्रम के लिए मजबूर करना। दहेज निषेध अधिनियम ,दहेज देने या लेने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, जिसे सरकार ने 1961 में महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए पारित किया था। दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज में विवाह के किसी भी पक्ष किसी भी पक्ष के माता-पिता या विवाह के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई संपत्ति, सामान या धन शामिल है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ मिले तथा प्रसव से पहले और बाद में विशिष्ट समयावधि के लिए विशिष्ट प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करना आवश्यक है।

1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार, सरकार ने महिलाओं को विभिन्न परिस्थितियों में लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों द्वारा विशिष्ट गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए कानूनी सुरक्षा भी दी। एक भी ईमानदार राय हो सकती है

1976 में लागू किए गए समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर तथा रोजगार से संबंधित या उसके प्रासंगिक क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक मिले।

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 को सती प्रथा और उसके महिमामंडन को और अधिक प्रभावी ढंग से रोकने के लिए लाया गया था, साथ ही इससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए भी। चूँकि सती प्रथा या विधवाओं या महिलाओं को जिंदा जलाना या दफनाना मानव स्वभाव का अपमान है और किसी भी भारतीय धर्म द्वारा इसका आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए सती प्रथा को रोकने और महिमामंडित होने से रोकने के लिए और अधिक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भारतीय संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 पारित किया। यह कानून परिवार में रहने वाली अन्य महिलाओं,जैसे बहनों,विधवाओं या माताओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्नी या महिला लिव-इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव-इन पार्टनर या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले घरेलू दुर्व्यवहार से बचाना है। कानून के अनुसार घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार के

साथ-साथ दुर्व्यवहार की धमकी भी शामिल है, चाहे वह मौखिक, भावनात्मक, वित्तीय, यौन या शारीरिक हो। इस विवरण में दहेज की अवैध मांग करके महिला या उसके परिवार को परेशान करना भी शामिल होगा।

भारत में 2013 में एक कानून बनाया गया था,जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम कहा जाता है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है। यह अधिनियम सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यस्थल,चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखेंगे। इससे लैंगिक समानता, जीवन, स्वतंत्रता और उचित कार्य स्थितियों के उनके अधिकारों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। अगर महिलाएं ऐसा करने में सुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके कार्यबल में भाग लेने की संभावना अधिक होगी, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नियोक्ताओं और स्थानीय सरकारों को अधिनियम के तहत सभी शिकायतों पर गौर करने के लिए शिकायत समितियां स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें अस्पतालों में मरीजों और स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को भी शामिल किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना था। इस योजना का उद्देश्य लिंग पक्षपाती लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 से पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को उपलब्ध है, पीडब्लू एंड एलएम को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थी को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तीन किस्तों में 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो व्यक्ति द्वारा कुछ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों को पूरा करने पर दिया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी मिलता है

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023-

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है ,यह अधिनियम महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक,स्वास्थ्य, और राजनीतिक विकास में योगदान देता है ।

इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी सीटें आरक्षित की गई हैंइस अधिनियम से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा । महिलाओं को रोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद लेगी । महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा । महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ेगा इस अधिनियम को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि सामाजिक रूढ़िवादिता और

जागरूकता की कमी इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को मिलकर काम करना होगा । 12 सप्ताह से कम समय की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 20 सप्ताह से कम समय की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि गर्भावस्था को कब और कैसे समाप्त या निरस्त किया जा सकता है, प्रक्रिया करने के लिए कौन अधिकृत है, और यह कहाँ होगा। महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करने के लिए अन्य कानून भी पारित किए गए हैं। ये कानून ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने, यह सुनिश्चित करने के लिए पारित किए गए थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हों, और समाज में समान अवसर और बेहतर स्थिति सुनिश्चित हो। ये सभी संहिताबद्ध कानून हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ - भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हासिल करना एक जटिल चुनौती है जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है क्योंकि इसके रास्ते में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं:

ऐतिहासिक विरासत का मतलब है कि भारत के कई हिस्सों में, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड अभी भी भेदभावपूर्ण बने हुए हैं। जहाँ पुरुषों को "ज़ोर से बोलने" की अनुमति है, वहीं महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी यही मानता है कि महिलाओं को घर के काम-काज तक ही सीमित रहना चाहिए। सभी वित्तीय जिम्मेदारियाँ और बाहर के काम सिर्फ़ पुरुषों के लिए ही माने जाते हैं।

दहेज जैसी पारंपरिक प्रथाओं और अन्य कारकों का मतलब है कि कई परिवारों को लड़कियों को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगता है। इस प्रकार, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी खराब बनी हुई है। भारत में महिलाएं लिंग आधारित हिंसा जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, सम्मान के नाम पर हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि की मूक पीड़ित बनी हुई हैं।महिलाओं को दी जाने वाली लिंग भूमिका रूढ़िबद्धता आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, बच्चों के पालन-पोषण और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं को कामगार के रूप में कम विश्वसनीय माना जा सकता है। "ग्लास सीलिंग इफेक्ट" की व्यापकता का अर्थ यह है कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं को अघोषित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें व्यावसायिक सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचने से रोकती हैं।

कम काम के अवसर और वित्तीय पहुंच के कारण भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। यह उन्हें स्वतंत्र बनाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत भर में संसद और राज्य विधान सभाओं सहित विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है।भारत भर में 'सरपंच पति' संस्कृति का प्रचलन है, जिसमें निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पुरुष रिश्तेदार ही कार्यालय चलाते हैं, इसका अर्थ यह है कि महिलाओं का अल्प राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी अधिकांशतः नाममात्र का है।

यद्यपि भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे मौजूद हैं, लेकिन कमजोर प्रवर्तन तंत्र और सामाजिक दृष्टिकोण के कारण उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। वैश्वीकरण

और शहरीकरण ने महिलाओं के लिए जहां नए अवसर लाए हैं, वहीं उन्हें तस्करी और शोषण जैसी नई कमजोरियों का भी सामना करना पड़ा है।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए उपाय- भारत में लैंगिक असमानता या लैंगिक असमानता का निरंतर प्रचलन का अर्थ है कि भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक, बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जो कई आयामों को कवर करती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं-

- यह तथ्य कि इतने सारे कानून होने के बावजूद भी समस्या बनी हुई है, यह दर्शाता है कि सामाजिक समस्या का समाधान केवल कानून के माध्यम से नहीं किया जा सकता। सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए निरंतर अभियान की आवश्यकता है।
- शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का आपस में गहरा संबंध है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा तक पहुँच को सक्षम बनाना सबसे अच्छा साधन है। यह भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि इससे उनमें खुद के भाग्य का फैसला करने और उसे बनाने का आत्मविश्वास पैदा होता है।
- कुशल न्यायिक प्रणालियों और कानून प्रवर्तन के माध्यम से मौजूदा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने से महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को कम करने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं को बाजार-प्रासंगिक कौशल प्रदान करने से उन्हें श्रम बल में आसानी से प्रवेश करने में मदद मिलेगी।
- माइक्रो-फाइनेंसिंग जैसे साधनों के माध्यम से ऋण तक पहुँच को सक्षम करके महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँगी।
- महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे विकास के फल की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनने के बजाय भारत की प्रगति और विकास की निर्माता बन सकें।
- महिलाओं को राजनीति और नागरिक समाज में भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम पेश करें। यह भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता न केवल अपने आप में लक्ष्य हैं, बल्कि देश के समग्र विकास और समृद्धि के लिए मूलभूत हैं।
- "विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, नागरिक समाज, समुदाय और व्यक्तियों को सामूहिक प्रयास करके ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, जहाँ हर महिला को आगे बढ़ने का अवसर मिले। ऊपर सुझाए गए उपाय इस दिशा में मदद कर सकते हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रभाव - भारत में महिला सशक्तिकरण ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सशक्त महिलाएं परिवार के भीतर और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है। शिक्षा, उद्यमिता और कार्यबल में उनकी बढ़ती उपस्थिति से घरेलू आय और राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हुई है।विभिन्न क्षेत्रों में

महिलाओं के नेतृत्व ने सकारात्मक परिवर्तन और सामाजिक सुधार को प्रेरित किया है।इसके अतिरिक्त, सशक्त महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास की वकालत करती हैं, जिससे संपूर्ण समुदाय का उत्थान होता है।हालाँकि, शेष असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।

निष्कर्ष- न्यायमूर्ति सुश्री लीला सेठ ने कहा, "महिलाएं पृथ्वी का आधा हिस्सा बनाती हैं और आकाश के आधे हिस्से को सहारा देती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन समानता की बात करें तो वे कहां हैं।" लैंगिक समानता के विचार की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी हैं। लैंगिक समानता के बारे में बहस को समाप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण का विचार विकसित हो रहा है। 21वीं सदी के सबसे समकालीन मुद्दों में से एक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण समावेशी भागीदारी के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और समाज और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाता है। महिलाओं को उनके दिमाग और विचारों से लेकर उनके अधिकारों और निर्णयों तक हर तरह से अधिक स्वतंत्र बनाना, उन्हें सभी सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं से दूर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता लाएगा। परिवार, समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए, महिलाओं को होना चाहिए

सशक्त बनाया जाना चाहिए। पुरुषों को समाज में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पाने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को विभिन्न कानूनों, विनियमों और विधानों के अलावा हासिल किया जाना चाहिए।

भारत में महिला सशक्तीकरण के समकालीन परिदृश्य की समीक्षात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ चला रही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) योजनाएँ, और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन योजनाओं का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा दर में वृद्धि, कार्यबल में उनकी बढ़ती भागीदारी, वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच, और सामाजिक कुरीतियों (जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा) में कमी। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, और महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में परिवर्तन की आवश्यकता।

नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लागू हो जाने के बाद महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी के व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है

इसलिए, महिला सशक्तीकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार को योजनाओं के उचित कार्यान्वयन, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा उपायों और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने की दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे। साथ ही, समाज और परिवारों की भागीदारी से ही वास्तविक सशक्तीकरण संभव हो सकेगा।

अमल में आने के बाद क्या बदलेगा?

मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है। इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी।

इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद- 239AA के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी, दिल्ली विधानसभा में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम अंततः यह महसूस करेंगे कि "जिस क्षण हम एक महिला को सशक्त बनाते हैं, हम अपने परिवार को सशक्त बनाते हैं।" महिला आंदोलन और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एक व्यापक नेटवर्क, जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति है और जो महिलाओं के मुद्दों की गहन समझ रखते हैं, ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रेरित किया है। एक ओर संविधान, कानून, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और संबंधित प्रक्रियाओं में उल्लिखित उद्देश्य और दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति की परिस्थितिजन्य वास्तविकता, फिर भी बहुत अलग हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

(1) भारत में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और चुनौतियाँ, Rameshwari Pandya, New Century Publications ,2019

(2) सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी और नीतिगत विश्लेषण , Anuja Agrawal , New Century Publications ,2020.

(3) भारत में लैंगिक समानता पर आधारित रिपोर्ट , UNDP India 2021

(4) वेबसाइट: https://ncw.nic.in

(5) वेबसाइट: https://wcd.nic.in

(6) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS),

(7) वेबसाइट: http://rchiips.org/NFHS

(8) वेबसाइट: https://niti.gov.in

(9) वेबसाइट: https://india.unwomen.org

(10) वेबसाइट: https://ihds.umd.edu